कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर (म.प्र.)

//ज्ञापन//

क्रमांक ..../III-9-1/2025 छतरपुर, दिनांक ...../12/2025

प्रति,

जनसंपर्क अधिकारी,
जन संपर्क संचालनायल, छतरपुर

विषय :– जिला मुख्यालय छतरपुर एवं तहसील न्यायालय नौगांव, बिजावर, लवकुशनगर, राजनगर एवं बड़ामलहरा के प्रतिलिपि अनुभाग में प्रतिलिपि आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैयार किये जाने के संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने बावत्।

–000–

उपरोक्त विषयांतर्गत जिला मुख्यालय छतरपुर एवं तहसील न्यायालय नौगांव, बिजावर, लवकुशनगर, राजनगर एवं बड़ामलहरा जिला छतरपुर के प्रतिलिपि अनुभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रतिलिपि तैयार किए जाने के संबंध में निविदाये स्थानीय स्तर के समाचार पत्र दैनिक भास्कर आदि में प्रकाशित की जाने हेतु आपकी ओर प्रेषित कर लेख है कि, उक्त निविदा अतिशीघ्र प्रकाशित किये जाने तथा जिन समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित कराई गई है उक्त समाचार पत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न :– निविदा आमंत्रण।

Sd/-
कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
छतरपुर म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक 5159/III-9-1/2025 छतरपुर, दिनांक 18./12/2025

प्रतिलिपि यथा–आदेश :–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर उक्त निविदा मय शर्तों सहित वेबसाईट www.mphc.in पर अपलोड करवाने हेतु सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. अध्यक्ष, विभागीय क्रय समिति, जिला न्यायालय, छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. जिला रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट, छतरपुर की ओर स्थानीय स्तर के समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशन के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जिला नाजिर, छतरपुर/नायब नाजिर तहसील न्यायालय नौगांव, बिजावर, लवकुशनगर, राजनगर एवं बड़ामलहरा जिला छतरपुर की ओर जिला मुख्यालय छतरपुर एवं तहसील न्यायालयों के प्रतिलिपि अनुभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रतिलिपि तैयार किए जाने के संबंध में निविदा शर्ते, फार्म एवं विज्ञापन की छायाप्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि, निविदा शर्ते, फार्म एवं विज्ञापन 'जिला मुख्यालय छतरपुर में कार्यालय नजारत अनुभाग, छतरपुर एवं तहसील न्यायालयों के सूचना पटल पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
5. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, छतरपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि, उक्त निविदा मय शर्तों सहित वेबसाईट www.mphc.in पर अपलोड करवाने संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– निविदा आमंत्रण एवं निविदा शर्तें।

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छतरपुर म0प्र0

OFFICE OF THE PRINCIPAL DISTRICT & SESSION JUDGE CHHATARPUR (M.P)

// ANNEXURE-1//

LIMITED TENDER PERFORMA FOR OUTSOURCE PHOTOCOPY WORK

1- Rate Quotaition of the Tender (INCLUSIVE OF ALL TAXES)

Sr. No.	Particulars	Rate per Copy with paper (A4 Size JK/Orient/Century/bilt matrix Boand paper, 75 gsm)	Rate per copy with (Legal Size of JK/Orient/Century/bilt matrix Boand paper, 75 gsm)
1	Single side photocopy on one sheet		
2	Photocopy on back to back side on one sheet		

2- Machine Model No. and Make...

3- Earnest money details :

.............................date...........................for...

Rs. 10.000/- Name of Bank ....

4- PAN No ....

5- TIN No ....

The terms and conditions of the tender are acceptable to me us.

Signature ....

Name & Address with seal & Date ....

Phone (0) ....

(M) ....

(R) ....

कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर (म.प्र.)

//विज्ञप्ति//

सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, जिला न्यायालय छतरपुर के प्रतिलिपि अनुविभाग, जिला मुख्यालय छतरपुर एवं तहसील न्यायालय नौगांव, बिजावर, लवकुशनगर, राजनगर एवं बड़ामलहरा जिला छतरपुर में प्राइवेट फोटोकॉपियर मशीन स्थापित किया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति इस स्थापना पर फोटोकॉपियर मशीन स्थापित किए जाने हेतु इच्छुक हो, वे कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर मे कार्य दिवस के दौरान उपस्थित होकर निविदाओं की आवश्यक शर्तों की जानकारी प्राप्त कर शर्तो के अनुसार निविदा दिनांक 16.01.2026 को सायं 5:00 बजे तक कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर में जमा कर सकते है, नियत समय अवधि उपरांत प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं को दिनांक 16.01.2026 को सायं 5:00 बजे निविदाकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि यदि उपस्थित हो तो के समक्ष अध्यक्ष, विभागीय क्रय समिति के विश्राम कक्ष में खोला जावेगा।

इस हेतु विस्तृत विवरण कार्यालय से कार्यालयीन समय में एवं माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की वेबसाईट www.mphc.in पर भी देखा जा सकता है।

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
छतरपुर म0प्र0

कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर (म.प्र.)

मान्नीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2024/938, जबलपुर दिनांक 02.07.2024 के निर्देशानुसार जिला स्थापना छतरपुर में प्रतिलिपि कार्य के लिए नियम एवं शर्ते :–

01. एक बंद लिफाफे से सीलबंद निविदा पूर्ण रूप से भरी हुई 10,000/–(दस हजार रूपये) की बैंक ग्यारंटी के साथ जो कि एफ.डी.आर. या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हो एवं 06 माह की अवधि के लिए वैद्य हो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छतरपुर में आवश्यक रूप से दिनांक 16.01.2026 को सायं 5:00 बजे तक कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर में जमा हो जानी चाहिए, अपूर्ण/सशर्त/देरी से प्रस्तुत निविदा अथवा बिना बयाने की राशि के अथवा बिना किसी कर/लागत के समावेश की निविदाऐं निरस्त की जावेगी।

02. निविदाऐं दिनांक 16.01.2026 को समय सायं 5:00 बजे जिला न्यायालय की विभागीय क्रय समिति के अध्यक्ष के विश्राम कक्ष में उन सभी उपस्थित व्यक्तियों जिन्होंने निविदाऐ प्रस्तुत की है, अगर उपस्थित हो तो उनके समक्ष खोली जावेगी। निविदा की नियम, शर्तों एवं दरों में काटछांट, परिवर्तन या सुधार नही होने चाहिए, सभी प्रारूप/संलग्नक–1 हस्ताक्षरित होना चाहिए एवं उस पर संस्था की सील होनी चाहिए।

03. जिसकी निविदा चुनी जायेगी उसे संस्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस में परफॉरमेंस ग्यारंटी के रूप में पॉच प्रतिशत संभावित अनुबंध राशि की बैंक ग्यारंटी एफ.डी.आर./अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छतरपुर के पक्ष मे देनी होगी। परफॉरमेंस सुविधा निधि अनुबंध के समाप्त होने के दिन से 60 दिनों के लिए बैद्य होगी, जिसमें वारंट/त्रुटि उत्तरदायित्व यदि हो भी शमिल होगे।

04. संस्था द्वारा प्रति कॉपी की दर के हिसाब से समस्त करों एवं शासकीय देयको को सम्मिलित कर प्रदाय की जावेगी। एक पेज के एक तरफ की प्रति/एक पेज के दोनों तरफ की प्रति दोनों के लिए पृथक से दर आवश्यक रूप से दर्शायी जानी चाहिए।

05. फोटोकॉपी मशीन जिला न्यायालय परिसर छतरपुर तथा तहसील न्यायालय नौगांव, बिज़ावर, लवकुशनगर, राजनगर एवं बड़ामलहरा जिला छतरपुर में निर्देशानुसार स्थापित करनी होगी। कार्यालय समय में फोटोकॉपी मशीन की उपलब्धता को ठेकेदार को सुनिश्चित करना होगा।

06. दर का अनुबंध, दर अनुबंध/कार्य आदेश की अधिसूचना दिनांक से कम से कम एक वर्ष के लिए वैद्य होगा। सेवा में संतुष्टि के आधार पर अनुबंध का समय प्रतिवर्ष के हिसाब से समान नियम एवं शर्तो पर प्रतिवर्ष अधिकतम तीन वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

07. कोई अग्रिम संदाय नहीं किया जावेगा। अनुबंध की अवधि में दरों में परिवर्तन नही किया जावेगा एवं नियमानुसार कर काटा जायेगा। सिर्फ संवैधानिक देयकों जो कि शासन द्वारा अधिसूयना/नियमों के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, को छोड़कर अनुबंध की अवधि में दर की संरचना में परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अतः संस्था जो कि निर्धारित राशि एक वर्ष के लिए प्रभावी रख सकें वही आवेदन करे।

08. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छतरपुर के निर्देशानुसार मशीनों की संख्या कार्य के अनुसार जरूरत के हिसाब से कम अथवा ज्यादा की जा सकती है, परंतु ठेकेदार को बिना रूकावट के कार्य को संपन्न करना होगा। अतिरिक्त व्यक्ति की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे की कार्यालय के कार्य में रूकावट न हो।

09. कोई परिवहन या अन्य व्यय देय नहीं होगें।

10. ठेकेदार फोटोकॉपी मशीन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा, स्टेशनरी जैसे उत्तम गुणवत्ता वाले कागज (75 जी.एस.एम.) टोनर, स्टेप्लर पिन और अन्य लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जावेगी। फोटोकॉपी मशीन को चलाने के लिए पर्याप्त व्यक्ति को रखने की तथा उन पर होने वाले व्यय का उत्तरदायित्व ठेकेदार को होगा।

11. ठेकेदार को यह सुनिश्चत करना होगा कि फोटोकॉपी कार्य कार्यालय मे आसानी से हो सके और कार्य में किसी प्रकार की रूकावट न हो अगर कार्य में रूकावट होगी तो 500/–रूपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी, इसके अतिरिक्त फोटोकॉपी के कार्य में बाजार से ज्यादा मूल्य आने पर वह राशि लंबित बिलों/संस्था की परफॉरमेंस सुरक्षा निधि से काटी जावेगी।

12. आदेशित कार्य को पूरा करने के लिए जिस फोटोकॉपी मशीन की स्थापना की जानी है वह एक वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और ठेकेदार को उक्त मशीन के मॉडल/वर्ष के सत्यापन हेतु क्रय की गयी मशीन का बिल प्रस्तुत करना होगा।

13. संस्था द्वारा लगायी जाने वाली फोटोकॉपी मशीन की बनावट और मॉडल की जानकारी सर्विस टेक्स प्रमाण टिन नंबर और केन्द्रशासित मंत्रालय/अनुभाग/अन्य सरकारी कार्यालयों/अंडरटेकिंग या अन्य प्रतिष्ठित संस्था जिनको की ठेकेदार द्वारा फोटोकॉपी की आउटसोर्सिंग प्रदान की गयी हो के प्रमाण के दस्तावेज तथा संतुष्टि पूर्ण कार्य की रिपोर्ट, पूर्ण विवरण जैसे पता, ऐसे व्यक्ति का नाम संपर्क किया जा सके, इस निविदा के साथ उक्त दस्तावेज संलग्न किये जाने चाहिए।

14. यह ठेकेदार का दायित्व होगा कि न्यायालय के दस्तावेज किसी अनाधिकृत व्यक्ति तक न पहुँच पायें इस शर्त का उल्लंघन पर कठोर परिणाम भुगतना होगे और अनुबंध बिना किसी सूचना के ई.एम.डी./निष्पादन प्रतिभूति और लंबित बिलों को छोड़कर समाप्त किया जा सकेगा।

15. अनुबंध के निष्पादन के दौरान ठेकेदार उसके द्वारा उपयोग में ली जाने वाली सामग्री की उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखेगा। ठेकेदार के कोई भी भृष्ट या कपटपूर्ण कार्य करने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और निष्पादन प्रतिभूति को जप्त किया जा सकेगा और उसे ब्लेकलिस्टेड किया जाकर उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

16. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुमति के बिना उपपट्टे की अमान्य किया जावेगा।

17. अनुबंध के निष्पादन के दौरान यदि किसी की मृत्यु या दुर्घटना अथवा भौतिक संपत्ति की हानि होती है तो दी गयी छूट के अतिरिक्त समस्त जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

18. जिला न्यायालय केवल विद्युत एवं खाली जगह की सुविधा ठेकेदार को बिना किसी शुल्क के प्रदाय करेगा अन्य कोई सुविधा नहीं।

19. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छतरपुर या ठेकेदार एक माह पूर्व सूचना देकर अनुबंधों को समाप्त कर सकते है। यदि कोई भी पक्ष अनुबंध की शर्त का उल्लंघन करता है।

20. ठेकेदार या उसके स्टाफ के किसी सदस्य के द्वारा जानबूझकर या अन्यथा कार्य की गुणवत्ता में कोई गंभीर त्रुटि की जाने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उस पर पेनल्टी अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

21. यदि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है या ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है तो वे 24 घंटे के अंदर उसमें सुधार करने का नोटिस दे सकते है और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वे उस पर पेनल्टी अधिरोपित करने के साथ उचित कदम उठा सकते है।

22. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश केवल ठेकेदार द्वारा की गई फोटोकॉपी का ही मूल्य अदा करेगें। यदि अनुबंध की किसी शर्तो का उल्लंघन होता है या दिया गया कार्य पूर्ण नहीं होता है तो अनुबंध में वर्णित अन्य उपचार को सुरक्षित रखते हुए 500/–रूपये प्रति घटना/ प्रतिदिन के हिसाब से लंबित बिलों से अनुबंध राशि की अधिकतम दस प्रतिशत राशि काटी जा सकेगी तथा उसे उसके कार्य का मूल्य देने से इंकार भी किया जा सकेगा यदि पृष्ठ या प्रिटिंग इत्यादि संतोषजनक न हो।

23. अनुबंध का निष्पादन ठेकेदार की जिम्मदारी है और स्थल पर कार्य की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी होगी।

24. अनुबंध के दौरान केन्द्र सरकार और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्मित तथा भविष्य मे अधिसूचना द्वारा श्रम अधिनियम के अंतर्गत पारित किये जाने वाले समस्त नियम अधिनियमों को अनुबंधकर्ता पूर्ण समय पालन करेगा। यदि ठेकेदार के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके कार्य से किसी नियम या अधिसूचना द्वारा संसोधित अधिनियम का उल्लंघन किये जाने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाती है तो वह नियुक्ता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को क्षतिपूर्ति देगा।

25. अनुबंध के दौरान ठेकेदार के किसी कार्य या लापरवाही से जिला न्यायालय की किसी संपत्ति की क्षति होती है या चोरी होती है तो ठेकेदार को उसे अपने स्वयं के व्यय से पूर्ति करना होगा।

26. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को पूर्णतः बिना कोई कारण बतायें निरस्त कर सकेंगे।

27. यदि दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध को लेकर कोई विवाद होता है तो उसे बातचीत से सुलझाने का प्रयत्न किया जावेगा, परंतु बातचीत से कोई हल न निकल पाने की स्थिति में उसे एकमात्र मध्यस्थ (Sole Arbitrator) जो कि प्रधान ज़िला सत्र न्यायाधीश, छतरपुर होगे के समक्ष रखा जायेगा और उनके द्वारा लिया गया अधिनिर्णय/निर्णय अंतिम होगा और दोनो पक्षों पर लागू होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही पंचाट और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत की जावेगी।

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
छतरपुर म.प्र.